बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग-१ कार्यवाही--प्रश्नोत्तर)।

मंगलवार, तिथि २३ मार्च, १९७६

विषय सूची।

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तरः—सभा-नियमावली के नियम ४ (ii) अन्तर्गत अनागत अल्प-सूचित प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा की मेज पर रखा जाना।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ११ ... १—९

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :—३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५. ४०६, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३, ४१४, ४१७, ४१८, ४१९, ४२० तथा ४२१। ... ९—५९

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : ... ६०—७२

दैनिक-निबन्ध : ... ७३—७५

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे ऐसा(*) चिह्न लगा दिया गया है।

(४) यदि उपर्युक्त घंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस क्षेत्र के जन-जीवन को स्थायी रूप से सामान्य बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना चाहती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग—(०) उत्तर नकारात्मक है। १९७५ ई० में अभी तक हरलाखी थाने में ८ तथा बासोपट्टी थाना में १० डकैती के कांड प्रतिवेदित हुए हैं। जबकि इसी अवधि में गत साल १९७४ हरलाखी थाने में ९ तथा बासोपट्टी थाने में ११ डकैती कांड प्रतिवेदित हुए थे। इस माह में १५ दिसम्बर, १९७५ तक अब तक कोई डकैती कांड प्रतिवेदित नहीं हुआ है।

(२) हरलाखी और बासोपट्टी थाना के प्रायः सभी डकैती कांडों में नेपाल तराई के झीझ, अकौरा, कड़तौल आदि गाँव के कुख्यात अपराधकर्मियों का हाथ है। ये अपराधकर्मी नेपाल सीमावर्त्ती क्षेत्र के निकट रहने के कारण आसानी से सीमा पार करके लूट-पाट के बाद अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबंध के कारण प्रतिनियुक्त सशस्त्र गस्ती दल उनका पीछा करके उनके घरों तक पहुँचने में असमर्थ है। यह बात कुछ हद तक सही है कि भारतीय नेपाल सीमावर्ती गाँवों की जनता इन अपराध कर्मियों से भयभीत रहती है।

(३) एवं (४) निरोधात्मक कारवाई के रूप में प्रायः प्रत्येक कृष्ण पक्ष में सशस्त्र आरक्षी दल की प्रतिनियुक्ति रात्रि गस्ती के लिए की जाती है। नेपाल की अपराधकर्मियों की गतिविधि पर निगरानी तथा रोकथाम के लिए नेपाल राज्य के पदाधिकारियों से समय-समय पर सम्पर्क स्थापित किया जाता है। अपराधनिरोध सहयोग गोष्ठी राज विराज, जनकपुर और सिरहा नेपाल के पदाधिकारियों के साथ हाल में सम्पन्न हुआ है। भारत सरकार को भी लिखा गया है कि सीमावर्त्ती क्षेत्र में गस्ती के लिये १०० जीप एवं २५० वायरलेस के हेतु राशि उपलब्ध करायी जाय। भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे भी नेपाल सरकार की सीमावर्ती क्षेत्र में गस्ती के लिए अनुरोध करें।

साहाय्य कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में।

९४। श्री महेश्वरी प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया जिला से कतरी प्रखण्ड में अनावृष्टि के कारण भयंकर सुखाड़ हो गया है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड के भूमिहीन जनता इसके कारण भूखमरी के स्थिति में आ गई है पर अभी तक सहायता कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया हैं।

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार भूमिहीन जनता को भूखमरी से बचाने के लिऐ साहाय्य कार्य का आरम्भ शुरू करने का विचार करती है यदि हां तो कब तक ?

प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग—(१) हां ! अतरी प्रखण्ड में वर्षा के कमी के कारण इस वर्ष धान की रोपनी २५ प्रतिशत हो सकी थी ।

(२) उत्तर नकारात्मक है ।

सीमावर्ती मानपुर तथा वजीरगंज प्रखण्डों में धनकटनी में मजदूरवर्ग व्यस्त है तथा सभी प्रखंडों में रब्बी की बुबाई जोरो से चल रही है जिसमें कि मजदूर को काम मिल रहा है कि अतरी जेठियन लोक निर्माण विभाग की सड़क, जिसका प्राक्कलन २६ लाख रुपया है, कार्यान्वित हो रहा है जिससे मजदूरों को रोजी मिल रही है। सरबहदा-टयोसा सड़क में भी दो मील में मिट्टी बिठायी का काम चल रहा है । ग्राम अभियंता संगठन की वजीरगंज कुचिहार-तपोवन सड़क पर मिट्टी का काम कठिन श्रम योजना से निधि उपलब्ध करा कर आरम्भ कराया जा रहा है ।

(३) प्रत्येक पंचायत के लिए कठिन श्रम योजना तैयार करायी जा रही है तथा चार योजनायें स्वीकृत हो चुकी है जिनपर काम आरम्भ कराया जा रहा है ।

सूती एवं गरम कपड़े की आपूर्त्ति ।

८५ । श्री रामजी प्रसाद सिंह— क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) भागलपुर केन्द्रीय कारा, भागलपुर में विचाराधीन कैदी सर्वश्री पिठू पंडित, कामदेव मिश्र, रणजीत साह, शीतल सहनी, मकजु हासदा, ताला मांझी बन्धु मुर्मु, हमिद मियां, राम विलास पातार, जगदेव गोसाई, बेला बढ़ई, नारायण तुरी, शिवलाल पासवान, अधीन लाल पासवान एवं राम विलास